an>

Title: Need to create water bodies in the notified area of Cheetah Sanctuary in Madhya Pradesh and also provide water storage facilities in the sanctuary area.

**श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह)** ः मेरा चुनाव क्षेत्र दमोह बुंदेलखण्ड के मध्य प्रदेश में आता है। गत वर्ष चीता अभ्यारण्य के लिए भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित हुआ है, जिससे अनेक राजस्व ग्रामों का विस्थापन हुआ है। बुंदेलखण्ड का सूखा एवं पेयजल संकट सर्वविदित है। अतः मेरा सुझाव एवं मांग है कि चीता अभ्यारण्य में आने वाले राजस्व ग्रामों को जो विस्थापित किये गये हैं, उस भूमि पर बड़े-बड़े तालाब बनाकर पेयजल के लिए उपयोग करने का नूतन प्रयोग करें। अभ्यारण्य के भीतर होने कारण जंगली पशु लाभान्वित होंगे तथा हिंसक पशुओं के कारण जनता के आवागमन से दूर प्रदूषण मुक्त भी रहेंगे। अभ्यारण्य को सीमा के बाहर तक जमीन के नीचे (अंडरग्राउंड) पाइपलाइन पहुंचाकर लोक प्रशासन लोक प्रशासन जल संग्रहण केंद्र एवं जल शोधन संयंत्र संचालित कर सकते हैं। इस नूतन प्रयोग में वन अधिनियम 1980 का उल्लंघन एवं वनों की क्षति भी नहीं होगी क्योंकि कुछ माह पूर्व तक ये भूमि राजस्व भूमि रही है। पेयजल के समाधान एवं भूमि की कमी को दूर करने के लिए यह नूतन प्रयोग सरकार जरूर प्रारंभ करे।